

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 49/2024

जीसीएमएस नम्बर :: 2024/215

अपीलाण्ट :-  
श्री घेवरचंद पुत्र सुखदेव, जाति सोनी,  
निवासी - मकान नम्बर 13, पिंजारो  
का बास, भैरूघाट पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :-

1. श्रीमती निखिलेश कंवर पत्नी स्वर्गीय हीरसिंह
2. तनुश्री (नाबालिग) पुत्री स्वर्गीय श्री हीरसिंह
3. ओमकारसिंह नाबालिग पुत्र स्व. श्री हीरसिंह, जातिगण राजपुत, जरिये प्राकृतिक संरक्षिका रेस्पो. संख्या 01 माता श्रीमती निखिलेश कंवर पत्नी स्व. हीरसिंह निवासीगण- मण्डली खुर्द
4. श्रीमती मदन कंवर पत्नी स्व. हणुतसिंह
5. अनेक कंवर पुत्री स्व. हणुतसिंह
6. मूल कंवर पुत्री स्व. हणुतसिंह
7. प्रकाश कंवर पुत्री स्व. हणुतसिंह
8. सुरज कंवर पुत्री स्व. हणुतसिंह
9. विनोद कंवर पुत्री स्व. हणुतसिंह
10. डिम्पल कंवर पुत्री स्व. हणुतसिंह
11. तहसीलदार पाली, तहसील पाली, जिला पाली राजस्थान।



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मदन लाल सोनी, नवीन दवे  
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र लबाना

--: निर्णय :-

दिनांक :- 27.01.2025

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरुद्ध मौजा ग्राम मण्डली खुर्द, पटवार हल्का मण्डली खुर्द, तहसील पाली के नामान्तरकरण संख्या 2078 दिनांक 23.07.2020 तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे वक्त बहस उपस्थित हुए व रेस्पोडेण्ट्स बाद तामिल न्यायालय में अनुपस्थित आये। बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा ग्राम मण्डली खुर्द, पटवार हल्का मण्डली खुर्द तहसील पाली में खसरा संख्या 720 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि का स्वर्गीय हणुतसिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 02.11.2018 को अपने स्वयं की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि

भूमि का दो बीघा हिस्सा जो लगभग 1/8 हिस्सा का बेचाण द्वारा हस्तांतरण किया गया तब से लगाकर उक्त भूमि पर अपीलाण्ट काबिज काशत है। उक्त भूमि का पंजीकृत बेचाण उप पंजीयक (द्वितीय) पाली के क्रम संख्या 201803472101122 पर पंजीयन किया गया एवं वक्त खरीद के पश्चात बार-बार जाने पर भी हल्का पटवारी द्वारा कहा गया की नामान्तरकरण स्वीकृत होने पर आपको सूचित कर दिया जायेगा परन्तु नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया। इसी दौरान दिनांक 23.07.2020 को नामान्तरकरण संख्या 2078 विरासत का हणुतसिंह (हनवंतसिंह) के स्वर्गवास के बाद का उनके खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि का उनके वारिसान के नाम विरासत का जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जो विधि विरुद्ध है क्योंकि खसरा संख्या 720 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 02 बीघा भूमि का हस्तांतरण हणुतसिंह द्वारा पंजीयन बेचाण, हस्तांतरण दस्तावेज के जरिये अपीलाण्ट को कर दिया गया था जिससे जैर नामान्तरकरण काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरुद्ध व कूटरचित होने से खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ-पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते हैं।

अधिवक्ता उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि मौजा ग्राम मण्डली खुर्द पटवार हल्का मण्डली खुर्द के नामान्तरकरण संख्या 2078 से हणुतसिंह की विरासत में उसके प्राकृतिक विरासतदार के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर दिया है जबकि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि तत्कालिक खातेदार हणुतसिंह द्वारा नामान्तरकरण में से वर्णित भूमियों में से खसरा संख्या 720 में से 02 बीघा भूमि का विक्रय अपीलाण्ट को दिनांक 02.11.2018 को ही किया जा चुका था जबकि विरासत के नामान्तरकरण संख्या 2078 दिनांक 23.07.2020 को दर्ज किया गया है अर्थात् विवादित आराजियात में विक्रीत आराजी में वारिशान् का कोई हक ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में विक्रीत आराजी का जिसकी तत्कालीन खातेदार द्वारा अपीलाण्ट को विक्रय किया जा चुका है, उसका नामान्तरकरण विक्रेता के वारिसान् के नाम दर्ज किया जाना प्रथम-दृष्ट्या विधि सम्मत नहीं है।

अतएव अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम-दृष्ट्या ही विधि-विरुद्ध होने से जैर नामान्तरकरण संख्या 2078 दिनांक 23.07.2020 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते हैं कि प्रकरण में जैर नामान्तरकरण में वर्णित भूमि से संबंधित सभी पक्षकारों की उचित जांच कर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)

जिला कलक्टर, पाली  
जिला कलक्टर, पाली

